FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :— जिला कलेक्टर पाली

प्रार्थीगण

1. श्रीमती मंजू चतर धर्मपत्नी स्व. श्री राजेश जी चतर
2. श्री आशीश चतर पुत्र श्री स्व. श्री राजेश जी चतर
3. श्रीमती राजू चतर पुत्री श्री स्व. श्री राजेश जी चतर जातिगण जैन निवासीगण ब्यावर जिला अजमेर के मुख्तियार आवडदान पुत्र श्री सुमेरदानजी, जाति चारण, निवासी प्रतापपुरा, कालू जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली

अप्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण, जिला पाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध 80/2020

GCMS No. :-- 2020/00309

अन्तर्गत धारा 81 भू. राजस्व अधिनियम स्थगन प्रार्थना पत्र

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/12/20	अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 04/2020 बअनवान सरकार बनाम राजेश चतर में पारित आदेश दिनांक 04.11.2020 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थगन हेतु बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलाधीन आज्ञा मृत व्यक्ति के विरूद्व पेश पारित की गई है जिसका देहान्त दिनांक 01.11.2019 को हो चुका है। मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित आदेश विधि अनुरूप नही होने से खारिज योग्य होने से इसके पालना एवं प्रभाव स्थगित रखावें। प्रार्थीगण राजेश चतर के विधिक वारिसान है तथा जिन्हे मातहत अदालत में पक्षकार बनाये बिना ही आदेश पारित किया गया है। जो शुन्य आदेश होने से निरस्त योग्य है। सिविल न्यायालय द्वारा हमारा कब्जा 1970 के पहले का होने के कारण हमारे पक्ष में डिक्री पारित हुई है तथा पंचायत की NOC है। इन सभी के कारण सुविधा का संतुलन हमारे पक्ष में है। अगर स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपुर्णिय क्षति होगी एंव प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा है तथा उक्त क्षति को रूपयों पैसे से पूरा नही किया जा सकता है इसलिए उक्त अनवान प्रकरण में पारित निर्णय की पालना एवं प्रभाव स्थगित कराने के आदेश जारी करावें। वकिल प्रार्थी की बहस को सुना गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा वक्त बहस उल्लेखित तथ्य अपील से सम्बन्धित है। अतिक्रमित आराजी खसरा नम्बर 1129/1 ग्राम निमाज पटवारी हल्का निमाज कुल रकबा 10.06 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर है। इस बात की ताईद वकील प्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से उक्त भूमि का सरकारी गैर मुमकिन गौचर भूमि होना स्पष्ट होने से प्रार्थी के हक में स्थगन दिया जाना न्यायोचित नहीं है एवं भूमि गैर मुमकिन गौचर सरकारी भूमि होने से सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में नहीं है तथा उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी में न होकर सरकारी होने से प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति होने का भी प्रश्न नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी के हक में मातहत अदालत द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.11.2020 के विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन आदेश किया जाना उचित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। स्थगन पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम होकर मूल अपील के संलग्न की जावे। जिला कलेक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:40:37 IST
Reason: SelfAttested